नम्बर व अहक्कान हुक्म की मैं जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–02/22

1– बदनसिंह पुत्र स्व0 रामजीलाल
2– हरदेई पत्नि स्व0 लालचन्द
3– धर्मसिंह पुत्र स्व0 लालचन्द
4– सुखवीरसिंह पुत्र स्व0 लालचन्द
5– देवीसिंह पुत्र स्व0 लालचन्द
सभी जाति धाकड निवासी खोहरा तहसील बयाना जिला– भरतपुर (राज0)
6–हरवली पुत्री स्व0 रामजीलाल, पत्नि भागीरथ जाति धाकड निवासी हरनगर तहसील बयाना जिला– भरतपुर (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बयाना।
2– सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये तामील सहायक अभियन्ता पी.डब्लू.डी. विभाग बयाना जिला भरतपुर (राज0)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट

निर्णय   दिनांकः– 10.12.2025

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 614 रकवा 0.07 है, 615 रकवा 0.08 है व 616 रकवा 0.08 है ग्राम खोहरा तहसील बयाना में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता, ससुर, बाबा उक्त आराजी में निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार एवम् काबिज है। उक्त आराजी के निस्फ हिस्से के खातेदारान रामभरोसी, रामप्रताप , रतन पिसरान जगन की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त की थी जिसका मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग से रामभरोसी, रामप्रताप , रतन पिसरान जगन को प्रदान किया था अतः उनके हिस्से की आराजी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम आयी है जिसका नामान्तकरण संख्या 125, तामील क्रमांक एल.आर./01/247 दिनांक 12.10.2001 की पालना में दिनांक 23.11.2001 को दर्ज होकर दिनांक 08.01.2001 को स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर उक्त आराजी के निस्फ भाग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया गया है नामान्तरण संख्या 125 के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2057–2060 में उक्त खसरा नम्बरान 614 रकवा 0.07, 615 रकवा 0.08, 616 रकवा 0.08 में 1/2 हिस्सा पी.डब्लू. डी में, बाकी 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता, ससुर, बाबा रामजीलाल पुत्र हरभजन खातेदार का नोट अंकित है। उक्त जमाबंदी सम्वत् 2057–2060 में निस्फ भाग पर पी.डब्लू.डी एवम् 1/2 भाग पर रामजीलाल पुत्र हरभजन के नाम इन्द्राज होने के बाद उसके पश्चात् की कम्पयूटर जमाबंदी में सहवन भूल से खसरा नम्बर 615 रकवा 0.08, 616 रकवा 0.08 का सम्पूर्ण भाग पी.डब्लू.डी के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 614 में से रकवा 0.03 है0 प्रार्थीगण के नाम

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

614/1518 रकवा 0.04 पी.डब्लू.डी के नाम दर्ज हुआ है इस प्रकार सहवन भूल से जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खसरा नम्बर 615, 616 सम्पूर्ण भाग 0.08 व 0.08 का रकवा पी.डब्लू.डी नाम दर्ज हो गया था तथा उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थीगण का निस्फ हिस्सा है जिसे प्राथीगण के खाते में दर्ज नहीं किया है जबकि उक्त खसरा 615 में निस्फ भाग रकवा 0.04 है0, 616 के निस्फ भाग रकवा 0.04 है0 पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज है प्रार्थीगण के उक्त निहित निस्फ को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त नहीं किया था न ही प्रार्थीगण को कोई मुआवजा राशि अदा की गई थी जमावंदी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल वश व त्रुटि से सहवन से खसरा नम्बर 615 व 616 में निस्फ – निस्फ भाग के रकवा अलग–2 नहीं करके वर्तमान जमावन्दी में सम्पूर्ण रकवा को सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में सम्मिलित कर दिया गया है जिससे खसरा नम्बर 614, 615, 616 के कुल रकवा 0.23 है0 में निस्फ भाग 0.11 या 0.12 की वजाय अधिक रकवा 0.20 है0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गया प्रार्थीगण के नाम 0.11 या 0.12 की वजाय कम रकवा 0.03 है0 का ही इन्द्राज है जिससे भविष्य में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की आंशका है उक्त गलत इन्द्राज सहवन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूलवश हुआ है जिसको शुद्वीकरण किया जाना आवश्यक हो गया है।

अन्त में प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने नवीन आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.08 हैक्ट. व 616 रकवा 0.08 हैक्ट. वाके ग्राम खोहरा तहसील बयाना में राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग का 1/2 हिस्सा है तथा उसके खाते में उक्त 1/2 हिस्सा रखते हुये शेष 1/2 निस्फ हिस्से में प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना को रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट बाबत लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने रिपोर्ट क्रमांक/LR/22/4960 दिनांक 15.11.2022 से रिपोर्ट न्यायालय हाजा पेश की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम खोहरा की वर्तमान जमाबंदी 2073–76 के खाता संख्या 286 खसरा नम्बर 614/1578 रकवा 0.04 हैक्ट., 615 रकवा 0.08 हैक्ट., 616 रकवा 0.08 हैक्ट. कुल रकवा 0.20 हैक्ट. हिस्सा पूर्ण PWD के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा संवत 2057–60 के खाता संख्या 179 में उक्त खसरा नम्बरान रामभरोसी, रामप्रसाद, रतन पिसरान जगन हिस्सा 1/2 रामजीलाल पुत्र हरभजन हिस्सा 1/2 कौम धाकड सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें नामान्तकरण संख्या 125 दिनांक 08.01.2002 भूमि आवाप्ति से उक्त खसरा नम्बरान 614, 615, 616 में हिस्सा 1/2 PWD व शेष हिस्सा 1/2 रामजीलाल पुत्र हरभजन के नाम शेष रहा।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये ।पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कराया एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073–76, नामान्तकरण संख्या 125 स्वीकृत दिनांक 08.01.2002 एव तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट से स्पष्ट है नामान्तकरण संख्या 125 स्वीकृत दिनांक 08.01.2002 अनुसार जमाबन्दी में 614, 615, 616 में हिस्सा 1/2 PWD के नाम एवं शेष 1/2 हिस्सा रामजीलाल पुत्र हरभजन

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

के नाम दर्ज होना था परन्तु सहवनवश सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी PWD के नाम दर्ज रिकार्ड हो गयी। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.08 हैक्ट व 616 रकवा 0.08 हैक्ट. वाके ग्राम खोहरा तहसील बयाना में निस्फ हिस्सा खातेदार रामजीलाल पुत्र हरभजन के वारिसान के नाम वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक..10/12/25.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आ.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज